प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। प्रति सं. 2 व 4 की तामील हेतु पुन: नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते इंतजार तामील रिपोर्ट दिनांक 9/10/24 को पेश हो। ह्	
…0/24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साविक कार्यवाही हेतु दिनांक 27/11/24 को पेश हो ह्	
27/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए उपस्थित। वकील वादी द्वारा मृतका पाना बाई के मृत्यु हो जाने एवं मृतका के वारिसान प्रतिवादी सं. [illegible] 1 व 3 एवं वादीनी पूर्व से ही रिकार्ड मे मौजुद होने से प्रतिवादी सं. 6 पाना बाई का नाम विलोपित करने का निवेदन किया गया है। जिस पर वकील प्रति० द्वारा अनापत्ति जाहिर की गई। वकील प्रति० द्वारा अनापत्ति करने पर प्रा० पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाय प्रति० सं. 6 पाना बाई का नाम विलोपित किया जाता है। लाल स्याही से शीर्षक पर अंकन किया जावे। इसी के साथ वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रस्तुत राजीनामे को बाद जांच तस्दीक किया जाकर शामील मीसल किया गया। ह्	नि. अ. छोटीबाई नि. अ. किशोरीबाई नि. अ. सुशीलाबाई नि. अ. रामस्वरूप नि. अ. सुरेशमल पहचानकर्ता रामसुखलाल

Jodha? Sd/-

प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 629/128 रकबा 0.3804 हे0, ख0 सं. 632/129 रकबा 0.1052 हे0, ख0 सं. 634/132 रकबा 1.7159 हे0, ख0 सं. 636/133 रकबा 0.5342 हे0, ख0 सं. 689/285 रकबा 0.5099 हे0. कुल किता 5 कुल रकबा 3.2456 हे0. वाके ग्राम कपावदा तहसील वालेरा मे स्थित है। उक्त भूमि वादीनी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 3 के पिता की खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त भूमि की वसीयत दिनांक 25.9.1997 को खातेदार मुरथा द्वारा वादीनी श्रीमती बाई के पक्ष मे कर रखी है। वादीनी द्वारा उक्त वसीयत को आधार बनाकर वाद अधिकार घोषणा हेतु पेश किया गया था। वादीनी एवं प्रतिवादीगण 1 लगा0 5 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर वसीयत के आधार पर वाद ग्रस्त आराजी पर वादीनी को खातेदारी अधिकार दिये जाने पर सहमति जाहिर राजीनामा प्रस्तुत की। ऐसी स्थिति मे वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध मे राजीनामा पेश होने एवं सहमती दिये जाने पर वादग्रस्त आराजी को लेकर वादीनी एवं प्रतिवादीगणो के मध्य किसी प्रकार का विवाद शेष नहीं रहा है।

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
अतः ऐसी स्थिति मे वादीनी एवं प्रतिवादीगण 1 लगा० 4 द्वारा प्रस्तुत राजीनामे को स्वीकार किया जाकर राजीनामे के आधार पर वादीनी के पक्ष मे वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा सं. 632/128 रकबा 0.3804 हे०, खं. सं. 632/129 रकबा 0.1052 हे०, खं. सं. 632/132 रकबा 1.7159 हे०, खं. सं. 636/133 रकबा 0.5342 हे०, खं. सं. 689/285 रकबा 0.5099 हे० कुल किता 5 कुल रकबा 3.2456 हे० वाके ग्राम छापावदा के खातेदारी अधिकारो की घोषणा की जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे वादीनी धीसीबाई का नाम राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज हो। यह निर्णय आज दिनांक 27/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर पश्चात खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बादतामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12/12/24	प्रार्थी धीसीबाई जर्ये अभिभाषक पेश होकर प्रा०पत्र पेश कर निर्णय दिनांक 27/11/24 मे अंकित त्रुटी दुरुस्त किये जाने बाबत पेश कर निवेदन किया कि निर्णय दि. 27/11/24 मे ख.स. 629/128 के स्थान पर 632/128 एवं 634/128 के स्थान पर 632/132 अंकित हो गया है. जिसे दुरुस्त फरमाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं जराजीनामा का अवलोकन किया गया। निर्णय लेखन के दौरान ~~[illegible]~~ लिपिकीय त्रुटी से ख०स. 629/128 के स्थान पर 632/128 एवं 634/128 के स्थान पर 632/132 अंकित हो गया। जबकी वास्तविक ख०स० 629/128 एवं 634/132 है। अत! निर्णय दि. 27/11/24 को पारित निर्णय मे ख०स० 632/128 के स्थान पर 629/128 एवं 632/128 के स्थान पर 634/132 संशोधन किया जाता है. उक्तानुसार संशोधित के.स. अनुसार ख०स. $\frac{632}{128}$ को $\frac{629}{128}$ एवं $\frac{632}{132}$ को $\frac{634}{132}$ पढा जावे। ~~[illegible]~~ प्रा०पत्र का निस्तारण कर शा०मि किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। [signature]